न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 12/2020
GCMS No.- : 2020/00084

-: वादीगण :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. रतनाराम पुत्र दीपाराम जी फौत के कायम मुकाम 1/1 पुखराज पुत्र स्व. रतनाराम 1/1/1. संतोष पुत्री पुखराज 1/1/2. सुनिता पुत्री पुखराज 1/1/3. कृष्णा पुत्री पुखराज 1/1/4. किशोर पुत्र पुखराज 1/1/5. सुरज पुत्र पुखराज 1/1/6. पानीदेवी पत्नी पुखराज 1/2 लालाराम पुत्र स्व. रतनाराम जातियान- माली, निवासीगण-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।		1. चिमनाराम पुत्र घेवरराम 2. किशनलाल पुत्र घेवरराम 3. बगदाराम पुत्र घेवरराम 4. चौथाई पत्नी घेवरराम 5. महेश पुत्र चम्पालाल 6. प्रकाश पुत्र चम्पालाल 7. विद्यादेवी पत्नी चम्पालाल 8. अशोक पुत्र मोहनलाल 9. रमेश पुत्र मोहनलाल 10. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल 11. चौलाराम पुत्र तिलोकराम फौत के का0मु0 11/1. मैनादेवी पत्नी चौलाराम 11/2. मुकेश पुत्र चौलाराम 11/3. भोजराज पुत्र चौलाराम 11/4. इन्द्रादेवी पुत्री चौलाराम 11/5. शारदा पुत्री चौलाराम 11/6. पुष्पा पुत्री चौलाराम 12. रूघाराम पुत्र गोपालराम सभी जातियान- माली, निवासीगण- जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली। 13. तहसीलदार, जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.02.03.2020</u>

उपस्थितः-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, श्री शंकरलाल कुमावत, श्री इमरान खान, अधि0, प्रतिवादीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- [illegible] 2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व [illegible] निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा- रतनपुरा, पटवार हल्का-जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र- जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में खसरा नंबर 31 रकबा 49-05 बीघा, खसरा नंबर 31/5 रकबा 05-05 बीघा, खसरा नंबर 31/7 रकबा 10-18 बीघा, खसरा नंबर 31/8 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नंबर 31/21 रकबा 03-06 बीघा, खसरा नंबर 31/23 रकबा 10-04 बीघा, खसरा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नंबर 31/27 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 32 रकबा 06-08 बीघा, खसरा नंबर 32/9 रकबा 01-11 बीघा, खसरा नंबर 32/11 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नंबर 32/13 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 04-04 बीघा, खसरा नंबर 35/15 रकबा 05-01 बीघा, खसरा नंबर 35/4 रकबा 07-01 बीघा, खसरा नंबर 35/8 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नंबर 35/11 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 35/13 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नंबर 36/1 रकबा 00-03 बीघा, खसरा नंबर 37/2 रकबा 04-19 बीघा, खसरा नंबर 37/4 रकबा 02-08 बीघा की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 2/7 हिस्सा निहित है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 12 का हिस्सा आता है। विवादित भूमि के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षो से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि सामलाती है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 01 से 12 आये दिन इस भूमि के नाप-चौप सीमा व माठ को लेकर वादी से विवाद करते रहते है तथा भूमि को आगे बैचान हंस्तांतरण करने पर आमादा है तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 12 उसमें भी विवाद करता है। इस प्रकार से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 12 इसमें सहमत नहीं हो रहे है। तथा दिनांक 20.02. 2020 को वादी ने प्रतिवादी सख्या 01 से 12 व उनके परिवार वाले सहित सभी प्रतिवादी संख्या 01 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गए है। एवं उन्होनें वादी को एलानिया कथन किया कि न तो बंटवाड़ा करेंगें एवं न ही भविष्य में इस भूमि पर तुम्हें काश्त करने देंगे। जबकि भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी प्रतिवादी विवाद कर रहे है जबकि वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का वैधानिक अधिकारी है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नहीं है। जिस पर वादी के पास इस हेतु यह वादपत्र बाबत बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह [illegible] बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित भूमि वादी व [illegible] संख्या 01 से 12 के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में [illegible] भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर पिछले कई वर्षो से आ[illegible] अलग बंटी हुई है एवं वादी इसी अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा [illegible] बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह रहा है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नहीं हो रहे हैं एवं वह आये दिन वादी से लड़ाई झगड़ा व विवाद करते रहे है तथा दिनांक 20. 02.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 ने इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से इनकार करते हुए वादी को एलानिया कहा कि वह मौके पर वादी को पूरा ही बेकाबिज कर देंगे तथा अन्य किसी व्यक्ति को बैचान हंस्तांतरण कर देंगे। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी यदि प्रतिवादीगण उक्त दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है एवं यदि उक्त प्रतिवादीगण वादी को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही वादी इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी विषय परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 द्वारा वादी से इस करने की एलानिया कथन करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 12 द्वारा इस भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से इंकार करते हुये वादी को इस विवादित भूमि से बेकाबिज करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रतनपुरा तहसील-जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 12 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादपत्र के समस्त कथनों एवं तथ्यों को स्वीकार करते हुये कथन किया है कि यदि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 12, 08, 09 व 10 ने काउण्टर वाद पेश कर माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा करवानें की इस्तदुआ की है। प्रतिवादी चौलाराम की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी चौलाराम ने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों की जानकारी अभाव में अस्वीकार है वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा रतनपुरा जैतारण प्रतिवादी की पैतृक पुश्तैनी खसरान् संख्या 31, 32, 33, 34, 35, 36 व 37 कुल रकबा 242 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही दोयम स्थित है प्रतिवाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 ट्रेस नक्शा व प्रतिवादी का नजरी नक्शा साथ पेश है। वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित तमाम तथ्यो की जानकारी अभाव में अस्वीकार [illegible] का वादग्रस्त कृषि भूमि व गैर मु0 बेरा साड्डा में 1/12 हिस्सा [illegible] है तथा खसरा 31 कुल रकबा 167-10 बीघा मे से 1/12 [illegible] बिस्वा कृषि भूमि खातेदार काश्तकार है जो नजरी नक्शा [illegible] दर्शाया अनुसार कब्जा काश्त है। वादपत्र के चरण संख्या 03 में वर्णित त[illegible] तथ्य मनगढ्त होने से अस्वीकार है प्रतिवादी संख्या ने कभी भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बटवाड़ा नही करवाया है न ही ऐसी कोई बंटवाड़ा का कोई डिक्री निर्णय करवाया है। खसरा संख्या 32 कुल रकबा 21 बीघा 14 चाही स्थित है, जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादी का 1/12 हिस्सा निहित है, यानि 01 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार काश्तकार है, परन्तु उक्त खसरा प्रतिवादी के पास कोई भूमि नही है अन्य खातेदार काश्तकार का कब्जा है, इसलिये कभी भी कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नही हुआ है। यदि कोई बंटवाड़ा में प्रतिवादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी अतिक्रमी के तौर काबिज है। वादपत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 33 कुल रकबा 0-18 गैर मु. बाड़ा मे से प्रतिवादी 04 का 1/12 हिस्सा यानि करीब 01 बिस्वा 005 बिस्वासी का हिस्सा कानून आता है परन्तु उसका हिस्सा आज तक नही किया गया है । इस प्रकार 34 कुल रकबा 01 बीघा है। उसमें प्रतिवादी का 1/12 हिस्सा यानि करीब 01 बिस्वा 12 बिस्वासी हिस्सा आता है जिसका आज तक कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। खसरा संख्या 35 कुल रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा में प्रतिवादी का हिस्सा 02 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार काश्तकार है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 35 में प्रतिवादी कब्जा नही है। इस प्रकार खसरा 36 व 37 कुल रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा मे 1/12 हिस्सा निहित है परन्तु प्रतिवादी के पास कोई कब्जा नही है। प्रतिवादी का सम्पूर्ण खातेदारी काश्तकारी भूमिया में हिस्सानुसार कुल भूमि 242/17 बीघा चाही दोयम व गैर मुमकिन बेरा बाड़ा सहित में प्रतिवादी की कुल भूमि 20 बीघा 18 बिस्वा कानूनन हिस्सा आता है। वादपत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित तथ्यों गलत होनें से अस्वीकार है, जबकि प्रतिवादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 31 में ही यद्यपि सभी खातेदारों के सुविधा अनुसार आम रास्ता एवं खेतों में जानें आने को रास्ते की भूमियों को घटाया जाता है तो भी प्रतिवादी के हिस्सा 20 बीघा 18 बिस्वा में से 18 बिस्वा भूमि आम रास्ता एवं मेगा हाईवे व खेतों में जाने के लिये पर्याप्त भूमि ही घटाई जानें के योग्य मात्र है। इसलिये सभी खातेदारों की भूमियों की तुलनात्मक बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाने के योग्य है। वादीगण ने उक्त पद में वर्णित तथ्य केवल दावा करनें की गर्ज से उल्लेखित किया है। वादपत्र के पद संख्या 06 में वर्णित तथ्य मनगढ़त होनें से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 07 जो राजकीय पदाधिकारी की हैसियत से दावा बंटवाड़ा किया गया इसलिये उनका पक्षकार बनाने के लिये दो माह विधिक नोटिस मेण्डटरी है। वादीगण उसकी पालना के अभाव वादपत्र खारिज करनें के योग्य है। वादपत्र के चरण संख्या 08 सम्पूर्ण तथ्यों से बिनाय दावा पैदा नहीं हो रहा है। क्योकि हाजा न्यायालय दावा अनवान रतनाराम बनाम चिमनाराम व अन्य दिनांक 25.02.2020 पेश किया जिसकी तामील प्रतिवादीगण को [illegible] है। इसलिये बिनाय दावा कभी भी पैदा नहीं होता है। केवल [illegible] करनें की वजह से दावा काबिल खारिज के है।

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित, वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व रेकर्ड बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद प्रा. डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सहमति स्वरूप वकुलाय उभयपक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा- रतनपुरा, पटवार हल्का-जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र- जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नंबर 31, 31/5, 31/7, 31/8, 31/21, 31/23, 31/27, 32, 32/9, 32/11, 32/13, 35, 35/15, 35/4, 35/8, 35/11, 35/13, 36/1, 37/2 एवं खसरा नंबर 37/4 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- रतनपुरा, पटवार हल्का-जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र- जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 31 रकबा 49-05 बीघा, खसरा नंबर 31/5 रकबा 05-05 बीघा, खसरा नंबर 31/7 रकबा 10-18 बीघा, खसरा नंबर 31/8 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नंबर 31/21 रकबा 03-06 बीघा, खसरा नंबर 31/23 रकबा 10-04 बीघा, खसरा नंबर 31/27 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 32 रकबा 06-08 बीघा, खसरा नंबर 32/9 रकबा 01-11 बीघा, खसरा नंबर 32/11 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नंबर 32/13 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 04-04 बीघा, खसरा नंबर 35/15 रकबा 05-01 बीघा, खसरा नंबर 35/4 रकबा 07-01 बीघा, खसरा नंबर 35/8 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नंबर 35/11 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 35/13 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नंबर 36/1 रकबा 00-03 बीघा, खसरा नंबर 37/2 रकबा 04-19 बीघा, खसरा नंबर 37/4 रकबा 02-08 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/685 दिनांक 10/08/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/4479 दिनांक 27/10/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने [illegible] के बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का [illegible] किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– रतनपुरा, पटवार हल्का–जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र– जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 31 रकबा 49–05 बीघा, खसरा नंबर 31/5 रकबा 05–05 बीघा, खसरा नंबर 31/7 रकबा 10–18 बीघा, खसरा नंबर 31/8 रकबा 08–10 बीघा, खसरा नंबर 31/21 रकबा 03–06 बीघा, खसरा नंबर 31/23 रकबा 10–04 बीघा, खसरा नंबर 31/27 रकबा 00–10 बीघा, खसरा नंबर 32 रकबा 06–08 बीघा, खसरा नंबर 32/9 रकबा 01–11 बीघा, खसरा नंबर 32/11 रकबा 00–14 बीघा, खसरा नंबर 32/13 रकबा 00–08 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 04–04 बीघा, खसरा नंबर 35/15 रकबा 05–01 बीघा, खसरा नंबर 35/4 रकबा 07–01 बीघा, खसरा नंबर 35/8 रकबा 01–16 बीघा, खसरा नंबर 35/11 रकबा 00–10 बीघा, खसरा नंबर 35/13 रकबा 00–06 बीघा, खसरा नंबर 36/1 रकबा 00–03 बीघा, खसरा नंबर 37/2 रकबा 04–19 बीघा, खसरा नंबर 37/4 रकबा 02–08 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1	किशोर हि. 1/6, सुरज हि. 1/6, सन्तोष हि. 1/6, सुनिता हि. 1/6, कृष्णा हि. 1/6, पि0 पुखराज, पानीदेवी पत्नी पुखराज हि. 1/6, कौम– माली सा. जैतारण खातेदार।	31/32	0.6555	चा0सो0
		31/21	0.5342	चा0सो0
		31/27	0.0809	चा0सो0
		31/15	0.2833	चा0सो0
		35/22	0.3885	चा0सो0
		35/21	0.1619	चा0सो0
		35/8	0.2914	चा0सो0
		35/13	0.0486	चा0सो0
		36/1	0.0243	चा0सो0
		37/4	0.3885	चा0सो0
		योग–10	**2.8571**	
2	लालाराम पुत्र रतनाराम कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/5	0.8498	चा0सो0
		31/8	0.3885	चा0सो0
		31/33	0.1780	चा0सो0
		31/37	0.6232	चा0सो0
		32/14	0.7528	चा0सो0
		35/16	0.0567	[illegible]
		योग–6	**2.849[illegible]**	
3	चिमनाराम हि. 1/5, किशनलाल हि. 1/5, बगदाराम हि. 1/5 पि0 घेवरराम, चौथाई पत्नी घेवरराम हि. 1/5, महेश हि. 1/15, प्रकाश हि. 1/15 पि0 चम्पालाल, विद्या देवी पत्नी चम्पालाल हि. 1/15 कौम माली सा0 देह खातेदार	31/36	1.8777	[illegible]
		32/15	0.2832	चा0सो0
		32/9	0.2509	चा0सो0
		35/20	0.4452	चा0सो0
		योग–4	**2.8570**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

4	अशोक हि. 1/3, रमेश हि. 1/3, श्यामलाल हि. 1/3, पि0 मोहनलाल कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/7	0.8256	चा0सो0
		31/42	0.3318	चा0सो0
		35/4	0.5665	चा0सो0
		35/18	0.2428	चा0सो0
		35/11	0.0809	चा0सो0
		37/2	0.8013	चा0सो0
		योग–6	2.8489	
5	मुकेश हि. 1/6, भोजराज हि. 1/6, इन्द्रादेवी हि. 1/6, शारदा हि. 1/6, पुष्पा हि. 1/6 पि0 चौलाराम, मैनादेवी पत्नी चौलाराम हि. 1/6 कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/23	1.0764	चा0सो0
		31/35	0.9227	चा0सो0
		31/41	0.3238	चा0सो0
		31/44	0.4695	चा0सो0
		35/24	0.0567	चा0सो0
		योग–5	2.8491	
6	रूघाराम पुत्र गोपालरराम कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/31	0.5746	चा0सो0
		31/34	2.1691	चा0सो0
		31/38	1.5459	चा0सो0
		31/43	0.4693	चा0सो0
		31/40	0.3318	चा0सो0
		32/11	0.1133	चा0सो0
		32/13	0.0647	चा0सो0
		35	0.2347	चा0सो0
		35/19	0.1459	चा0सो0
		35/23	0.0567	चा0सो0
		योग–10	5.7060	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

वादीगण:

1. रतनाराम पुत्र दीपाराम जी फौत के कायम मुकाम
   1/1 पुखराज पुत्र स्व. रतनाराम
   1/1/1. संतोष पुत्री पुखराज
   1/1/2. सुनिता पुत्री पुखराज
   1/1/3. कृष्णा पुत्री पुखराज
   1/1/4. किशोर पुत्र पुखराज
   1/1/5. सुरज पुत्र पुखराज
   1/1/6. पानीदेवी पत्नी पुखराज
   1/2 लालाराम पुत्र स्व. रतनाराम
   जातियान- माली,
   निवासीगण-जैतारण,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

प्रतिवादीगण:

1. चिमनाराम पुत्र घेवरराम
2. किशनलाल पुत्र घेवरराम
3. बगदाराम पुत्र घेवरराम
4. चौथाई पत्नी घेवरराम
5. महेश पुत्र चम्पालाल
6. प्रकाश पुत्र चम्पालाल
7. विद्यादेवी पत्नी चम्पालाल
8. अशोक पुत्र मोहनलाल
9. रमेश पुत्र मोहनलाल
10. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल
11. चौलाराम पुत्र तिलोकराम फौत के का0मु0
    11/1. मैनादेवी पत्नी चौलाराम
    11/2. मुकेश पुत्र चौलाराम
    11/3. भोजराज पुत्र चौलाराम
    11/4. इन्द्रादेवी पुत्री चौलाराम
    11/5. शारदा पुत्री चौलाराम
    11/6. पुष्पा पुत्री चौलाराम
12. रूघाराम पुत्र गोपालराम सभी जातियान- माली, निवासीगण- जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली।
13. तहसीलदार, जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 12/2020
निर्णय/डिक्री दिनांक :- 30.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, श्री शंकरलाल कुमावत, श्री इमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- रतनपुरा, पटवार हल्का-जैतारण भू [illegible] अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र- जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-[illegible] राज0 में [illegible] व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर [illegible] 49-05 बीघा, खसरा नंबर 31/5 रकबा 05-05 बीघा, [illegible] 10-18 बीघा, खसरा नंबर 31/8 रकबा 08-10 बीघा, [illegible] रकबा 03-06 बीघा, खसरा नंबर 31/23 रकबा 10-04 बीघा, खसरा नंबर 31/27 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 32 रकबा 06-08 बीघा, खसरा नंबर [illegible]2/9 रकबा 01-11 बीघा, खसरा नंबर 32/11 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नंबर 32/13 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 04-04 बीघा, खसरा नंबर 35/15 रकबा 05-01 बीघा, खसरा नंबर 35/4 रकबा 07-01 बीघा, खसरा नंबर 35/8 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नंबर 35/11 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नंबर 35/13 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नंबर 36/1 रकबा 00-03 बीघा, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:31:10 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

37/2 रकबा 04-19 बीघा, खसरा नंबर 37/4 रकबा 02-08 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1	किशोर हि. 1/6, सुरज हि. 1/6, सन्तोष हि. 1/6, सुनिता हि. 1/6, कृष्णा हि. 1/6, पि0 पुखराज, पानीदेवी पत्नी पुखराज हि. 1/6, कौम- माली सा. जैतारण खातेदार।	31/32	0.6555	चा0सो0
		31/21	0.5342	चा0सो0
		31/27	0.0809	चा0सो0
		31/15	0.2833	चा0सो0
		35/22	0.3885	चा0सो0
		35/21	0.1619	चा0सो0
		35/8	0.2914	चा0सो0
		35/13	0.0486	चा0सो0
		36/1	0.0243	चा0सो0
		37/4	0.3885	चा0सो0
		योग-10	**2.8571**	
2	लालाराम पुत्र रतनाराम कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/5	0.8498	चा0सो0
		31/8	0.3885	चा0सो0
		31/33	0.1780	चा0सो0
		31/37	0.6232	चा0सो0
		32/14	0.7528	चा0सो0
		35/16	0.0567	चा0सो0
		योग-6	**2.8490**	
3	चिमनाराम हि. 1/5, किशनलाल हि. 1/5, बगदाराम हि. 1/5 पि0 घेवरराम, चौथाई पत्नी घेवरराम हि. 1/5, महेश हि. 1/15, प्रकाश हि. 1/15 पि0 चम्पालाल, विद्या देवी पत्नी चम्पालाल हि. 1/15 कौम माली सा0 देह खातेदार	31/36	1.8777	चा0सो0
		32/15	0.2832	चा0सो0
		32/9	0.2509	चा0सो0
		35/20	0.4452	चा0सो0
		योग-4	**2.8570**	
4	अशोक हि. 1/3, रमेश हि. 1/3, श्यामलाल हि. 1/3, पि0 मोहनलाल कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/7	0.8256	चा0सो0
		31/42	0.3318	चा0सो0
		35/4	0.5665	चा0सो0
		35/18	0.2428	चा0सो0
		35/11	0.0809	चा0सो0
		37/2	0.8013	[illegible]
		योग-6	**2.8489**	
5	मुकेश हि. 1/6, भोजराज हि. 1/6, इन्द्रादेवी हि. 1/6, शारदा हि. 1/6, पुष्पा हि. 1/6 पि0 चौलाराम, मैनादेवी पत्नी चौलाराम हि. 1/6 कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/23	1.0764	[illegible]
		31/35	0.9227	चा0सो0
		31/41	0.3238	चा0सो0
		31/44	0.4695	चा0सो0
		35/24	0.0567	चा0सो0
		योग-5	**2.8491**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:31:10 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6	रूघाराम पुत्र गोपालरराम कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	31/31	0.5746	चा0सो0
		31/34	2.1691	चा0सो0
		31/38	1.5459	चा0सो0
		31/43	0.4693	चा0सो0
		31/40	0.3318	चा0सो0
		32/11	0.1133	चा0सो0
		32/13	0.0647	चा0सो0
		35	0.2347	चा0सो0
		35/19	0.1459	चा0सो0
		35/23	0.0567	चा0सो0
		योग–10	5.7060	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/12/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08–00	स्टाम्प वकालतनामा	04–00
स्टाम्प वकालतनामा	04–00	स्टाम्प अर्जी	04–00
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	/
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	17–00	मिजानः–	08–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:31:10 IST
Reason: SelfAttested